राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जे.एन.मथुरिया (आर.ए.एस.)

आर.सी.एम.एस 2016/00366

अपील संख्या 79/16 (225 आर.टी.एक्ट.)

उनवान

1. उमादेवी पत्नी स्व0 नरेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी सैंथरा तहसील व जिला भरतपुर
2. तनु उर्फ तनमयकुमारी पुत्री स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये माता
. उमादेवी पत्नी स्व0 नरेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी सैंथरा तहसील व .
. जिला भरतपुर
2. नीता पुत्री स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार नाबालिग जरिय माता उमादेवी पत्नी स्व0 नरेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी सैंथरा तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलांटान

बनाम

1. क्षमा उर्फ क्षम्मो बेवा रमेश जाति ब्राहमण निवासी सैंथरा तहसील व जिला भरतपुर
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रमेश जाति ब्राहमण निवासी सैंथरा तहसील व जिला भरतपुर
3. धीरजकुमार पुत्र रमेश जाति ब्राहमण निवासी सैंथरा तहसील व जिला भरतपुर

..... असल रेस्पोडेन्ट

4. परमानंद पुत्र रामबाबू जाति ब्राहमण निवासी सैंथरा तहसील व जिला भरतपुर
5. भगवानदास पुत्र रामबाबू जाति ब्राहमण निवासी सैंथरा तहसील व जिला भरतपुर
6. टमरसिंह पुत्र रामबाबू जाति ब्राहमण निवासी सैंथरा तहसील व जिला भरतपुर
7. मूलचंद पुत्रगण ललिताप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी सैंथरा तहसील व जिला भरतपुर
8. ळरीओम पुत्र ललिता प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी सैंथरा तहसील व जिला भरतपुर
9. राजेश पुत्र ललिता प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी सैंथरा तहसील व जिला भरतपुर
10. राजस्थान सरकार जाये तहसीलदार भरतपुर

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 आर.टी.ए विरूद्ध
निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2016
न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय
भरतपुर वमुकदमें उनवानी क्षमा उर्फ क्षम्मो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :– वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार एड़।
वकील रेस्पो श्री तालेराम एड0

निर्णय दिनांक 09.10.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा 116/0.30, 152/0.30, 159/0.24, 166/0.14, 177/0.06, 178/0.08, 383/0.20, 396/0.15, 407/0.11, 409/0.14, 416/0.26, 417/0.16, 419/0.25, 468/0.14, 482/0.24, 485/0.05, 669/0.28 उक्त आराजी वाके ग्राम सैंथरा तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश बिना अपीलार्थी को सुने कैम्प में पारित किया है। जिसकी सुनवाई का कोई मौका अपीलार्थीगण को नहीं मिला है। प्रकरण में न तो साक्ष्य हुई है और नही ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजी का बटवारा वसीयत के आधार पर हुआ है जिसके अनुसार प्रत्यर्थी सं0 1 का कोई हिस्सा विवादित आराजी में नहीं बनता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलार्थी ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

1.आर.आर.टी 2018 (1) – पेज 550
2.आर.आर.टी 2016–2017– पेज 556
3.आर.एल.डब्लू 2016(1) – पेज 159
4.आर.आर.टी 2016 (1) पेज 689
5.आर.आर.डी 2018 – पेज 121

बचाव में वकील प्रत्यर्थी नें निवेदन किया की विवादित आराजी बाबत अधीनस्थ न्यायालय नें हक के आधार पर निर्णय पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। प्रत्यर्थी सं0 1 अपने पति की जायदाद में हिस्से की अधिकारणी है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस उभयपक्ष एवं रिकोर्ड के अवलोकन से प्रकट है कि निर्णय के दिनांक को पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत थी एवं आगामी दिनांक 29.07.2016 थी लेकिन कैम्प विलोडी में 25.06.2016 को ही पत्रावली ले जायी जाकर केवल एक पक्षकार की प्रस्तुती में निर्णय पारित कर दिया है। पत्रावली में वसीयत का भी

उल्लेख आया है लेकिन वसीयत उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी को लोक अदालत में प्रकरण को ले जाये जाने की सूचना की तामील भी नहीं हुई है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है। कि अपीलार्थी को सुनवाई का मौका देते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष 26.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 09.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official